संख्या बी–2–793/दस–2014–1–2013
(नगर विकास अनुभाग–9, पत्रावली संख्या–220ज/10)

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 03 मार्च, 2014

विषय–वित्तीय वर्ष 2013–14 में नागर स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन हेतु 2 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन को प्रेषित आपके पत्र संख्या–8/3008–2110/2प्रतिशत मूल्यांकन/ 2013–14 दिनांक 26 फरवरी, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आपके प्रस्ताव के अनुसार नागर स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) को प्रोत्साहन की 2 प्रतिशत धनराशि रूपये 8,17,70,130/– (रूपये आठ करोड़ सत्रह लाख सत्तर हजार एक सौ तीस मात्र) संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रूपये में)

क्र.स.	निकाय का नाम	निकायों की संख्या	प्रोत्साहन की राशि
1	नगर निगम	02	7,90,60,020
2	नगर पालिका परिषदें	01	5,27,280
3	नगर पंचायतें	05	21,82,830
	योग	08	8,17,70,130

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों का पालन करते हुये धनराशि को आबंटित किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण सम्बन्धित निकाय द्वारा जनपद कोषागार से किया जायेगा तथा प्रस्तुत किये जाने वाले देयक को नगर निगमों हेतु संबंधित मण्डलायुक्त एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) धनराशि को आहरित कर राज्य वित्त आयोग की गाइड लाइन्स के अनुसार व्यय किया जायेगा।

(4) निकायों की यदि कोई समायोजन की धनराशि अवशेष हो तो सम्बन्धित निकाय की धनराशि से समायोजन के पश्चात, अवशेष धनराशि निकायों को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार आबंटित की जाय।

(5) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ उनसे प्राप्त करेंगे तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेगें ।

क्रमशः–2

3– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगाः–

क्र. सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (रूपये में)
1.	नगर निगमों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 191–नगर निगमों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	7,90,60,020
2.	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	5,27,280
3.	नगर पंचायतों हेतु	"3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर– 193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्रसमितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता– 03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन– 0301–सामान्य समनुदेशन– 28–समनुदेशन"	21,82,830
		योग	**8,17,70,130**

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

संख्या बी–2–793(1)/दस–2014–1/2013 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2– नगर विकास अनुभाग–9
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
4– विशेष सचिव, वित्त संसाधन (राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ) उत्तर प्रदेश शासन ।
5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

sfc101291

शासनादेश संख्या–बी–2–793/दस–2014–1–2013, दिनांक 03 मार्च, 2014 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2013–14 में नागर स्थानीय निकायों को 02 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का विवरणः

(धनराशि रूपये में)

जनपद	क्र0	निकाय की श्रेणी	02 प्रतिशत प्रोत्साहन की प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
नगर निगम			
लखनऊ	1	लखनऊ	6,09,84,690
मुरादाबाद	2	मुरादाबाद	1,80,75,330
		योग	**7,90,60,020**

नगरपालिका परिषद			
संतरविदासनगर	1	गोपीगंज	5,27,280
		योग	**5,27,280**

नगर पंचायत			
अलीगढ़	1	हरदुआगंज	3,82,005
सहारनपुर	2	बेहट	5,70,570
कानपुरदेहात	3	झींझक	6,38,040
लखनऊ	4	इंटौजा	1,83,300
अम्बेडकरनगर	5	अशरफपुरकिछौंछा	4,08,915
		योग	**21,82,830**
		कुल योग	**8,17,70,130**

03.03.2014